

:-अधिसूचना:-

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम द्वारा पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु, एतद्वारा निम्नलिखित स्थानों पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन एवं स्थापन करती है, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार या सीमाएँ कॉलम संख्या 4 में अंकित अनुसार विनिर्दिष्ट की जाती हैं:-

क्र.स	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	स्थानीय क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 2, अजमेर	अजमेर	अन्तरित प्रकरण
2.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 2, अलवर	अलवर	अन्तरित प्रकरण
3.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 2, भरतपुर	भरतपुर	अन्तरित प्रकरण
4.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 3, बीकानेर	बीकानेर	अन्तरित प्रकरण
5.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 3, जोधपुर	जोधपुर	अन्तरित प्रकरण
6.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 2, उदयपुर	उदयपुर	अन्तरित प्रकरण

नोट:- क्रम संख्या 1 से 6 पर वर्णित पारिवारिक न्यायालयों को केवल उन्हीं प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा जो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय- समय पर उन्हें अन्तरित किये जायेंगे।

साथ ही क्रम संख्या 1 से 3 एवं 6 में वर्णित स्थानों पर पूर्व से कार्यरत पारिवारिक न्यायालयों के नाम परिवर्तित करते हुए पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 निर्धारित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से

24/10/19
(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. General/II/05/2017(S)/..../548 Dated:- 31.10.2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Courts.
4. Concerned Chief Judicial Magistrates.
5. A.O.J. Confidential/ RJS (Estt.)/ SC(Estt.)/ Budget/ Building/ Statistics/ computer cell (AOJ computer cell with a direction to upload the same on High court website).

24/10/19
Registrar (Rules)